शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

'भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक'

डॉ0 शिवाली अग्रवाल* & **कु0 सोनिया वर्मा****

*एसो0 प्रो0, ईस्माईल नेशनल महिला, (पी0जी0) कॉलेज, मेरठ।

**पी–एच0डी0 शोध छात्रा, ईस्माईल नेशनल महिला, (पी0जी0) कॉलेज, मेरठ।

सारांश

प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़े देखी जा सकती है। विशेषकर महाजनपदकाल में वैदिक काल में और उत्तवैदिक काल में लेकिन आधुनिक स्वशासन की अवधारणा ब्रिटिश काल में मिलती है। विशेषतया लॉर्ड रिपिन के काल में। भारत में स्थानीय शासन को तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में स्थानीय स्वषासन की संरचना ब्रिटिष षासन की देन है। नगरीय स्वषासन की जड़े प्राचीन भारतीय इतिहास में समाहित है। प्राचीन भारत ग्राम पंचायतों के लिए तो प्रसिद्व था ही वहीं नगरीय शासन के लिए भी प्रसिद्ध था। वैदिक साहित्य से भी नगरीय षासन से सम्बन्धित जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वषासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन, ***'रामायण' एवं 'महाभारत'*** *आदि महाकाव्यों में भी मिलती है।* ***'कौटिल्य'*** *के* ***'अर्थशास्त्र'*** *में भी स्थानीय स्वषासन का वर्णन किया गया है। मध्य युग में भी नगरीय शासन का वर्णन मिलता है। इस युग में नगरीय षासन मुहतसिब के द्वारा चलाया जाता था। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए जो जोश आया वह समय के साथ समाप्त हो गया। स्थानीय स्वशासन को पुनः संगठित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने 1992 में संविधान में दो संशोधन किये 73वाँ संशोधन (ग्रामीण शासन से सम्बन्धित) 74वाँ संशोधन (नगरीय शासन से सम्बन्धित)। इस प्रकार 74वें संशोधन के माध्यम से नगर में नगर निकायों का गठन कर जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।*

मुख्य शब्द –

1. *स्थानीय स्वशासन*
2. *प्राचीन भारत*
3. *ब्रिटिश शासन*
4. *74 वाँ संशोधन*
5. *भारतीय शासन*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ0 शिवाली अग्रवाल* & **कु0 सोनिया वर्मा****,

'भारत में स्थानीय स्वशासन प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक',

शोध मंथन, दिस0 2017,
पेज सं0 71.79,
Artcile No. 13 (SM 653)

http://anubooks.com/?page_id=581

डॉ0 शिवाली अग्रवाल* & कु0 सोनिया वर्मा**

भारत में नगरीय शासन

प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा देखी जा सकती है विशेषतया महाजनपदकाल में वैदिक काल में और उत्तरवैदिक काल में लेकिन अपने आधुनिक काल में स्वषासन की अवधारणा ब्रिटिश काल में मिलती है। विशेषतया लॉर्ड रिपिन के काल में और इसलिए आधुनिक स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपिन को माना जाता है।

भारत में स्थानीय षासन को तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। स्थानीय शासन को दो भागों में विभाजित किया गया है (क) ग्रामीण स्तर पर षासन (ख) नगरीय स्तर पर शासन।[1]

भारत में स्थानीय स्वशासन की वर्तमान संरचना ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में स्थानीय स्वशासन को विकसित होने में बहुत समय लगा। स्थानीय शासन जनता प्रान्त और केन्द्रीय सरकार के बीच कड़ी के रूप में ब्रिटेन की देन है। नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ है।[2]

ऐतिहासिक विकास

भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़े बहुत प्राचीन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का वर्णन हम पांच शीर्षको से कर सकते है–

(1) प्राचीन समय में (2) मध्य युग में (3) ब्रिटिश काल में
(4) स्वतन्त्रोतर काल में (5)वर्तमान समय में

प्राचीन समय में नगरीय षासन

नगरीय शासन की जड़े प्राचीन भारतीय इतिहास में समाहित है। प्राचीन भारत ग्राम पंचायतों के लिए तो प्रसिद्ध था ही वही नगरीय शासन के लिए भी प्रसिद्ध था। वैदिक साहित्य में भी नगरीय शासन से सम्बन्धित जानकारी मिलती है।[3]

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवषेशों से पता चलता है कि इन नगरों में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। सिन्धु घाटी सभ्यता में सड़को और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था थी।

स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन **'रामायण'** एवं **'महाभारत'** आदि महाकाव्यों एवं **उपनिषदो** में भी मिलता है। **'कौटिल्य'** के ग्रन्थ **'अर्थशास्त्र'** में भी स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। **'रामायण'** एवं **'महाभारत'** में वर्णित अयोध्या और हस्तिनापुर आदि नगरों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है।

मौर्यकाल में भी नगरीय प्रषासन की व्यवस्था थी क्योंकि मौर्यकाल में भी नगर का प्रशासन मुख्य अधिकारी द्वारा किया जाता था। मौर्यकाल में नगरीय प्रशासन का मुख्य कार्य नगर की स्वच्छता की देखभाल करना था। जिसके माध्यम से जल निकासी सफाई व्यवस्था आदि प्रमुख कार्य किये जाते थे।[4]

'मेगस्थनीज' ने अपनी पुस्तक **'इण्डिका'** में वर्णन किया है कि मौर्यों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के लिए नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की थी। उसके कार्य थे नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाजारों पर नियन्त्रण रखना, सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन करना, सभी वार्डों के अनुसार लोगों का पंजीकरण करना आदि कार्य इसके अधीन थे।

इस प्रकार भारत में स्थानीय शासन प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह व्यवस्था भारत में विदेशी उपज नहीं है। भारत में स्थानीय शासन पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिर भी ये संस्थाएँ अपना कार्य कर रही थी।

मध्य युग में स्थानीय शासन

भारतीय इतिहास के मध्य युग में मुस्लिम शासकों का अत्यधिक प्रभाव रहा। नगरीय प्रशासन मुहतसिब द्वारा चलाया जाता था। उसके द्वारा अनेक कार्य किये जाते थे जैसे जलापूर्ति, कुँआँ की देखभाल करना सार्वजनिक भवनों की देखभाल करना खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकना, बाजारों का पर्यवेक्षण आदि। इस प्रकार सल्तनत काल में नगरीय शासन विद्यमान भारतीय इतिहास के मध्य युग में मुस्लिम शासको का अत्यधिक प्रभाव रहा। इस युग में स्थानीय शासन का अत्यधिक विकास नहीं हुआ। क्योंकि मुस्लिम शासकों ने शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की थी। क्योंकि बिना केन्द्रीय शासन व्यवस्था के पूरे देश पर शासन करना कठिन कार्य था।[5]

ब्रिटिश काल में नगरीय शासन

भारत में स्थानीय षासन का संगठन कार्य प्रणाली और विकास ब्रिटिष सरकार की देन है। न प्राचीन काल में और न मध्यकाल में स्थानीय स्वषासन की व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है और जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ब्रिटिष सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिये पहला कदम उठाया गया। ब्रिटिष षासन काल में ग्रामीण प्रषासन व्यवस्था की अपेक्षा नगरीय प्रषासन पर अधिक ध्यान दिया गया था।[6]

ब्रिटिश काल में स्थानीय शासन के विकास को चार भागों में विभक्त कर सकते है

प्रथम काल 1687–1881 में भारत में स्थानीय शासन

भारत में स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। इस काल में स्थानीय शासन की व्यवस्था अंग्रेजो की साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गयी थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। जिससे स्वायत्त षासन का प्रारम्भ माना जाता है। निगम में एक निगमाध्यक्ष एक नगर वृद्ध और नगर प्रतिनिधि सम्मिलित किया गया था।

वर्ष 1726 में मुम्बई और कलकत्ता में भी नगर निगमों की स्थापना की गई। 1726 में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट द्वारा प्रेसीडेन्सी नगरो में 'जस्टिस ऑफ पीस' की नियुक्ति की गई। इसका मुख्य कार्य षहर की सफाई व लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना था। स्थानीय स्वषासन की संस्थाओं में सुधार हेतु 1973 में पुनः एक्ट को संषोधित किया गया।[7]

द्वितीय काल 1882–1919 में स्थानीय षासन

इस अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई और कलकत्ता महानगरों में नगर प्रषासन की स्थापना की गई। भारत में स्थानीय षासन को स्वायत्तषासी बनाने का प्रस्ताव लार्ड रिपिन द्वारा 1882 में रखा गया। लार्ड रिपिन द्वारा नगरीय षासन के प्रस्ताव इस प्रकार है– प्रान्तीय सरकारें स्थानीय स्वायत्त षासन संस्थाओं को उनके विकास के लिए अधिक धनराषि और जवाबदेहिता सोपें, नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्वाचित संस्थाओं का बहुमत रखा जाये आदि।

स्वषासन के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था 1907 में षहरी विकेन्द्रीकरण आयोग की स्थापना। इस आयोग के अध्यक्ष थे हॉबहाउस। इनके अतिरिक्त पाँच अन्य सदस्य भारतीय सेवा के वरिश्ठ अधिकारी थे। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेन्द्रीकरण करके अथवा न करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। आयोग की प्रमुख सिफारिषे थीं–

- स्थानीय निकायो में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए।
- नगरपालिका अपना अध्यक्ष स्वयं चुने, परन्तु जिलाधीष स्थानीय जिला परिशद् का अध्यक्ष बना रहे।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की स्थापना की जानी चाहिए।
- नगरीय संस्थाओं को अपने कर्मचारियों पर नियन्त्रण के पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
- प्राथमिक षिक्षा को संचालित करने का उत्तरदायित्व नगरपालिका का होना चाहिए।
- स्थानीय स्वषासन पर सरकार का सकारात्मक नियन्त्रण होना चाहिए।
- नगरपालिकाओं को वित्तीय क्षेत्र में बजट निर्माण और कर लगाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- गाँव को स्थानीय स्वशासन की इकाई बनाया जाये और प्रत्येक गाँव में पंचायत की स्थापना की जाये।

विकेन्द्रीकरण आयोग के प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार की दषश्टि से महत्वपूर्ण थे। परन्तु नगरीय निकायों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में कई निर्णय लिये गये परन्तु इस दिशा में सन्तोषप्रद प्रगति नहीं हुई।

स्थानीय संस्थाओं के विकास में एक अन्य कदम मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा उठाया गया। 1917 में मॉण्टेग्यू द्वारा घोषणा की गयी कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी षासन की स्थापना करना है। फिर भी 1918 तक नगरीय प्रषासन के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति न हो सकीं। प्रथम विश्वयुद्ध 1914–18 के कारण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के जोर पकड़ने से ब्रिटिष सरकार का चिन्तित होना स्वाभाविक था। जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1919 में घोषणा करके एक नवीन युग का सूत्रपात किया।

द्वैध षासन प्रणाली स्थानीय स्वषासन 1919

अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वषासन के क्षेत्र में नवीन युग का प्रारम्भ हुआ। विभिन्न प्रान्तो में जिला और नगरपालिकाओं की स्थापना एवं संगठन की दिशा में कानून बनाये गये। प्रान्तो में स्वशासन के नियमों में एकरूपता का अभाव था जो होना स्वाभाविक था। विभिन्नताओं के होते हुए भी प्रान्तो में कुछ विशय स्थानीय संस्थाओं में एकरूपता बनाये रखने में सहायक थे जैसे–

- स्थानीय संस्थाओं को पूर्णतया निर्वाचित करना।
- मताधिकार के क्षेत्र को विस्तष्त करना।
- स्थानीय संस्थाओं को अधिक षक्ति प्रदान करना।
- पंचायतों की स्थापना करना।
- नियंत्रण को कम करना।

इस अवधि में स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र की ओर बढ़ने लगा तथा नगरपालिका की संरचना लोकतन्त्रीय आधार पर होने लगी। जवाहर लाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरूषोत्तम दास टण्डन आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों ने नगरपालिकाओं में प्रवेश किया।

चतुर्थ काल 1937–1947 में स्थानीय षासन

भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वषासन को प्रान्तीय विशय घोशित किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त होने के कारण नगरीय षासन के विकास में अधिक गति आई। इस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रान्तो में लोकप्रिय, सरकारों की स्थापना की। नगरीय प्रशासन में पहले तो कुछ सुधार हुये थे परन्तु 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो जाने से लोकप्रिय सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। इसका प्रतिकूल प्रभाव नगरीय षासन पर पड़ा। 1939 से 1945 तक स्वशासन का विकास रूक गया। 1947 में भारत स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया।

स्वतन्त्रता काल में नगरीय प्रषासन

1947 में देश की स्वतन्त्रता के साथ नगरीय षासन का नवीन युग प्रारम्भ हुआ। देश में केन्द्रीय प्रान्तीय एवं स्थानीय स्तर पर स्वषासन की स्थापना हुई।

1950 में संविधान लागू हो जाने के बाद नगरीय शासन में काफी सुधार किये गये। साथ ही विभिन्न प्रकार की नगरीय संस्थाओं की स्थापना की गयी। जैसे नगर निगम, नगरपालिकाओं, नगर क्षेत्र तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ आदि।[8]

वर्तमान समय में किये गये परिवर्तन

स्वतन्त्रता के बाद स्थानीय स्वषासन की स्थापना के लिए जो जोष आया था वह समय के साथ समाप्त हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नगरीय षासन मपर ध्यान नहीं दिया गया इनके चुनावों को समय पर नही कराया गया। भारत में स्थानीय षासन पुनः संगठित करने की आवष्यकता महसूस की गयी। इस सन्दर्भ में केन्द्र सरकार ने 1992 में संविधान में दो महत्वपूर्ण संषोधन किये 73वाँ संविधान संषोध (ग्रामीण शासन से सम्बन्धित) 74वाँ संषोधन (नगरीय षासन से सम्बन्धित)।[9]

74वाँ संविधान संषोधन

इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जिसमें कुल 18 अनुच्छेद है और एक नयी अनुसूची 12वीं जोड़कर स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देष्य नगरीय शासन को पुनः संगठित और सुदृढ़ बनाना है।

74वाँ संशोधन द्वारा नगरीय शासन में लोकतान्त्रिक प्रणाली को सफल बनाने का प्रयास किया गया। यद्यपि नगरों में स्वायत संस्थाओं की स्थापना की गयी है परन्तु विभिन्न कारणों से कमजोर हो गई है। इनके प्रभावहीन होने का मुख्य कारण था कि राज्य सरकार द्वारा इनके चुनाव समय पर न कराया जाना। 74वाँ संशोधन 1992 करके इन सब बातों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।

नगर निकायों का गठन

नगर निगम का गठन बड़े नगरों में किया जायेगा। स्थानीय नागरिक नगर निगम से अधिक कार्यों और सुविधाओं की आकांक्षा रखते है अतः ग्रामीण षहरी सम्बन्ध समिति का सुझाव था कि नगर निगम ऐसे स्थानों पर बनाये जाने चाहिए जिनकी जनसंख्या कम से कम पाँच लाख हो। नगर निगम सर्वोच्च नगरीय स्थानीय सरकार है जिसकी स्थापना बड़े षहरों में की जाती है। राज्यों में नगर निगमों की स्थापना

राज्य विधानमण्डलों तथा केन्द्रषासित क्षेत्रों में संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा होती है। निगम एक संवैधानिक संस्था है जिसके अधिनियम में नगर निगम की संरचना षक्तियों निगम के अधिकारियों आदि बातों का उल्लेख होता है।

निगम के कार्य

नगर निगम दो प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करता है–

ऐच्छिक एवं अनिवार्य अनिवार्य कार्यों में वे कार्य आते है जो नगर निगम को अवष्य करने पड़ते है जैसे–विद्युत प्रबन्ध, जल की व्यवस्था यातायात सेवाओं का प्रबन्ध गन्दगी तथा कूड़े कचरे की सफाई आदि। ऐच्छिक कार्य वे है जो आवष्यक नहीं है किन्तु वित्तीय स्त्रोतो के आधार पर इन्हें किया जाता है।

नगर निगम को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। निगम की आय के प्रमुख स्त्रोत है– कर लगाना, गैर –कर स्त्रोत लाभकारी उद्यम और अनुदान।

वार्ड समितियों का गठन

संविधान संषोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायो में एक या अधिक वार्ड समितियों का गठन किया जायेगा। इनके गठन की षक्तियाँ राज्य विधानमण्डल पर छोड़ी गयी है।

सीटों का आरक्षण

संविधान संषोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक नगर निगम में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जायेगा। प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में सीटों का आवंटन इन वर्गों को बारी–बारी से किया जायेगा।

सदस्यों की अनर्हता सम्बन्धी प्रावधान

राज्यों में नगर निकायों के लिए चुने जाने हेतु सदस्यों की योग्यताओं के संदर्भ में प्रावधान करने का दायित्व राज्य के लिए विधानमण्डल पर छोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति नगर निकायों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नही होगा यदि उसने 21वर्श की आयु प्राप्त कर ली है यदि योग्यता के सन्दर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

नगर निकायों को कर लगाने व कोश एकत्र करने की षक्तियाँ

संविधान संषोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोश के निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए विनियमन करने का दायित्व राज्य विधानमण्डलों को सौंपा गया है।

वित्त आयोग का गठन

संविधान संषोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के अन्तर्गत गठित वित्त आयोग देष के नगर निकायो की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा कर सकेगा।

नगर निकायों का लेखा और अंकेक्षण

संविधान संषोधन अधिनियम राज्य विधानमण्डलों को अधिकृत करता है कि वे नगर निकायो द्वारा अपने आय–व्यय के रखे जाने वाले लेखा और उनके अंकेक्षण के लिए प्रावधान कर सकेगे।

जिला नियोजन समिति

इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जायेगा जो जिले के लिए विकास की समग्र योजना का प्रारूप विकसित करने के लिए सक्षम होगी।

महानगरो के लिए नियोजन समिति

प्रत्येक महानगर के लिए महानगरीय नियोजन समिति के गठन का प्रावधान भी इस संविधान संषोधन अधि ानियम में किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण

भारत में स्थानीय संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण तीन प्रकार का है– विधायी, प्रषासनिक और न्यायिक राज्य विधानसभा नये–नये नियमों का निर्माण करके संषोधन करके अथवा निरस्त करके स्थानीय संस्थाओं पर अपना अंकुष रखती है।[10]

12वीं अनुसूची

इस सूची में 18 कार्यों का उल्लेख है जो नगरपालिकाओं को सौंपे गये है

1. नगरीय नियोजन सहित टाउन नियोजन।
2. भूमि प्रयोग एवं भवन निर्माण नियन्त्रण।
3. आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाएँ
4. सड़के तथा पुल निर्माण से सम्बन्धित योजना।
5. जल सप्लाई व्यवस्था।
6. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था।
7. अग्निषामक सेवाएँ
8. नगर में वक्षारोपण तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रबन्धन
9. गरीबों के हितों की सुरक्षा।
10. गन्दी बस्तियों में सुधार।
11. नगरीय गरीबी में कमी।
12. नगर में पार्क बगीचों तथा खेल के मैदानों की व्यवस्था।
13. सांस्कृतिक षैक्षणिक तथा कलात्मक पक्षो पर बल।
14. दफन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार आदि का प्रबन्ध
15. पषुओं पर अत्याचार को रोकना।
16. जन्म एवं मष्त्यु से सम्बन्धित आंकड़े
17. सार्वजनिक सुख सुविधाओं जैसे पार्किंग, रोषनी, बस स्टॉप आदि की व्यवस्था।
18. बूचड़ खानो पर नियन्त्रण।

नगरीय षासन की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित है–

1. क्षेत्रीय समस्या

2. सेवी वर्ग सम्बन्धी समस्या।
3. समन्वय की समस्या
4. जनसहभागिता

नगरीय प्रशासन के सुधार के महत्वपूर्ण सुझाव

डॉ0 सिन्हा ने नगरीय प्रषासन के सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार दिए है–

1. इन संस्थाओं को उचित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि उचित आकार के नेता तथा कर्मचारी इन संस्थाओं की ओर आकर्शित हो।[11]
2. यह आवश्यक है कि निर्वाचित नेताओं तथा अन्य राजनीतिज्ञों के लिए एक आचार संहिता बनाएं और फिर उस आचार संहिता का कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिए।
3. इन संस्थाओं की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
4. निरन्तर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि नगर सुन्दर एवं योजनाबद्ध रूप से विकसित हो।[12]

उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वषासन

ऐतिहासिक एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य उत्तर प्रदेष में स्थानीय प्रषासन की शुरूआत संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम 1916 और सुंयक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916 द्वारा की गयी। इन दोनों अधिनियमों के तहत सभी नगरो में नगर निगम, नगर पालिका परिशद, नगर क्षेत्र समितियाँ तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ स्थापित की गयी।

1956 में स्वतन्त्रता के बाद अधिनियम पारित कर स्थानीय षासन के लिए नयी व्यवस्थाएँ की गयी। 1993 में केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में 74वाँ संषोधन कर एक नया अध्याय 9 जोड़ा गया और अनु0 243 P से 243 ZG तक स्थानीय स्वषासन के लिए विषेश प्रावधान किया गया।

74वाँ संषोधन

74वाँ संशोधन के पारित होते समय उत्तर प्रदेश में नगर स्थानीय षासन की संरचना निम्नांकित विधियों पर आधारित थी।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1961
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1916

इस प्रकार स्थानीय स्वशासन के अध्ययन से पता चलता है कि राजनीतिक व्यवस्था में नगरीय शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार नगरीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है नगरीय शासन को लोकतन्त्र का आवष्यक अंग माना जाता है। स्थानीय षासन जितना अच्छा होगा देष का विकास उतना ही अच्छा होगा।[13]

सन्दर्भ सूची

1. सचदेवा प्रदीप, 'भारत में स्थानीय सरकार' पीयर्सन प्रकाषन 2017 प0सं0–2
2. बर्थवाल चन्द्र प्रकाश, 'भारतीय स्वशासन' सुलभ प्रकाश 17 अशोक मार्ग लखनऊ 2016 पृ0सं0–167

3. माहेश्वरी एस0आर0 'भारत में स्थानीय स्वशासन' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 2017 पृ0सं0–195
4. वही, पृ0सं0–196
5. वही, पृ0सं0–197
6. वही, पृ0सं0– 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
7. खत्री हरीश कुमार, 'भारतीय संघीय व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन' कैलाश पुस्तक सदन भोपा 2016 प0सं0–7
8. सिंह डॉ0 होशियार, 'भारतीय प्रषासन 'किताब महल इलाहाबाद 2016 प0 सं0 1
9. बर्थवाल चन्द्रप्रकाश, ''स्थानीय स्वशासन'' सुलभ प्रकाशन 11 अशोक मार्ग लखनऊ 2016 पृ0सं0–173
10. मुखर्जी राधा कुमुद, ''प्राचीन भारत में स्थानीय सरकार'' दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास 2017 पृ0सं0–214
11. माहेश्वरी एस0आर0, ''भारत में स्थानीय स्वषासन'' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 2017 पृ0सं0 249, 250
12. शर्मा डॉ0 हरिश्चन्द्र, 'भारत में स्थानीय प्रशासन' कॉलेज बुक डिपो जयपुर पृ0सं0 61, 62 त्रिपाठी केसरी नन्दन 'उत्तर–प्रदेश